

## सार्वजनिक सूचना / अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका कलानौर को गत वर्ष खुले में शौच मुक्त और खुले में पेशाब मुक्त घोषित किया गया है, जिसका मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता पालिका द्वारा किया गया है जोकि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओओएच०य०ए०) द्वारा प्रमाणित है और वर्तमान में स्थिति ओ० डी० एफ० + है। अतः नगरपालिका कलानौर रीमा के अंतर्गत खुले में शौच एवं खुले में पेशाब करना तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा इस वर्ष नगरपालिका कलानौर ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कलानौर शहर को ओ० डी० एफ० + + के लिए आवेदन कर रहा है। इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अगर किसी का कोई सुझाव/फीडबैक है तो नगरपालिका कलानौर कार्यालय में 30 सितंबर 2024 से पहले प्ररतुत करें। इसके अलावा यह अधिसूचित किया गया है कि उल्लंघन करने वालों को खुले में शौच के लिए 500/- रुपये और खुले में पेशाब करने के लिए 200/- रुपये तक का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 व अन्य के तहत जुर्माना लगाया जाएगा और आदतन स्वयंसेवकों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा और कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके हर्जे-खर्चे के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

सचिव,  
नगर पालिका कलानौर।